UPBB01-000770-2012

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1, बाराबंकी।

उपस्थितः विनय कुमार सिंह–III (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O.Code UP-6068

एन0डी0पी0एस0एक्ट वाद संख्याः 200108/2012

राज्य उ.प्र. — — — अभियोजन पक्ष।

बनाम

मो0मेराज पुत्र–स्व0रमजानी, निवासी–ग्राम बरौली मलिक, थाना–जैदपुर, जिला–बाराबंकी। — — — अभियुक्त।

मु.अ.सं. : 785 सन् 2011
अन्तर्गत धारा–8/21 स्वापक औषधि
एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम,
थाना–जैदपुर, जिला–बाराबंकी।

निर्णय

1. पुलिस थाना–जैदपुर, जिला–बाराबंकी द्वारा अभियुक्त मो0 मेराज पुत्र–स्व0 रमजानी के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–785/2011, अन्तर्गत धारा– 8/21 स्वापक औषधि एवं मनः पदार्थ अधिनियम में प्रेषित आरोप–पत्र के आधार पर प्रस्तुत एन0डी0पी0एस0एक्ट वाद में, अभियुक्त मो0 मेराज, को अपराध अन्तर्गत धारा– 8/21 स्वापक औषधि एवं मनः पदार्थ अधिनियम में आरोपित कर विचारण किया गया है।

2. यहॉ यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत एन0डी0पी0एस0एक्ट वाद, माननीय उच्चतम् न्यायालय के निर्देशानुसार **APAaR-DJ-VI** की पत्रावली होने के कारण मामले का विचारण वरीयता के आधार पर किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 04.12.2011 को उपनिरीक्षक भास्कर देव तिवारी मय हमराह कां0 भारत सिंह व कां0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह, कां0 रामभद्र यादव थाना हाजा से बहवाले रपट संख्या 11 समय 09:15 बजे बिनावर देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अपराधी मे हरख चौराहे पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो बरौली मलिक गांव का रहने वाला है अपने

Digitally signed by VINAY KUMAR SINGH
Date: 2026.08.06 16:30:21 IST
Reason: Document Owner
Location: ADJ,Court No.01,Barabanki.

गांव से मारफीन लेकर हैदरगढ़ बाराबंकी रोड पर आने वाला है। इस सूचना पर विश्वास करके मैं उपनिरीक्षक मय हमराही कर्मचारीगण मय मुखबिर को लाखियापुर मोड़ पर बनी दुकानो की आड़ लेकर छिप गये कुछ समय बाद मुखबिर ने इशारा किया कि नहर नटरी से रोड की तरफ आ रहा वही व्यक्ति है जो कि हम पुलिस लुकते छिपते नहर पटरी पर पहुंचकर उस व्यक्ति को रोका व टोका गया तो पीछे मुड़कर भागना चाहा कि हम पुलिस वाले घेर घारकर बरौली मोड़ खड़ंजा मार्ग पर पकड़ लिया गया। नाम पता व भागने का कारण पूछा गया तो उसने अपना नाम मो0मेराज पुत्र स्व0रमजानी निवासी ग्राम बरौली मलिक, थाना जैदपुर बाराबंकी बताते हुये कहा साहब मेरे पास मारफीन है इसलिये डर के कारण भागना चाह रहा था कि आप लोगो ने पकड़ लिया। मो0 मेराज उपरोक्त द्वारा अपने पास मारफीन का होना बताये जाने पर उसे बताया गया कि आपको अधिकार है कि आप अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दे सकते हैं या फिर उन्हें सूचना देकर यहीं बुलाया जा सकता है। जिसपर मो0 मेराज उपरोक्त कहीं भी चलने से मना करते हुये कह रहा है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरी जो भी तलाशी लेगा मारफीन ही निकलेगी। मुझे आप पर विश्वास है आप ही मेरी जामा तलाशी ले लीजिए। मो0मेराज की सहमति पर सहमतिपत्र लिखकर पढ़कर सुनाकर आलामात बनवाये गये। मो0 मेराज उपरोक्त के इत्मीनान हेतु हम पुलिस वाले एक दूसरे की भी जामा तलाशी ले देकर इत्मीनान कराया गया कि किसी के पास अवैध वस्तु नही है। तत्पश्चात् मो0 मेराज की जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुई लुंगी की दाहिनी फेट से एक पालीथीन में अखबारी कागज में लिपटा हुआ पाउडर जैसा पदार्थ मिला जिसे खोलकर देखा गया तो भूरे रंग का पाउडर पाया गया तथा जिसे सूंघने पर व हमराही कर्मचारीगणो को सुंघाने पर मारफीन जैसी बू आ रही है। तत्पश्चात् तफ्तीशी किट से तराजू बाट निकाल कर तौल की गयी तो मारफीन का वजन 250 ग्राम पाया गया। मो0 मेराज द्वारा बरामद पाउडर मारफीन होने की पुष्टि करते हुये अपनी गलती माफी किये जाने की बात कह रहा है। मो0 मेराज उपरोक्त से बरामद मारफीन के संबंध मे अधिकारपत्र मांगा गया तो दिखाने में कासिर रहा। मो0 मेराज का उपरोक्त कृत्य धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0एक्ट के प्राविधान के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः मो0 मेराज को गिरफ्तारी का कारण बताते

हुये मानवाधिकार आयोग व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशो निर्देशो का पालन करते हुये समय करीब 14:00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद मारफीन को कब्जा पुलिस में लिया गया। दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी मारफीन आने जाने वाले राहगीरो से गवाही के लिये कहा गया तो भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ। मौके पर गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया। बरामद मारफीन को उसी अखबारी कागज व पालीथीन में रखकर अलग कपड़े मे रखकर सील मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द मौके पर लिखकर, पढ़कर, सुनाकर अलामात बनवाये जा रहे है तथा फर्द की प्रति अभियुक्त को दी जा रही है। वादी मुकदमा उपनिरीक्षक भास्कर देव तिवारी द्वारा तैयार की गयी फर्द बरामदगी के आधार पर थाना–जैदपुर में अभियुक्त मो0 मेराज के विरुद्ध मु.अ.सं. 785/2011, धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी जिसका इन्द्राज कायमी जी0डी0 में किया गया।

4. मुकदमा पंजीकृत होने के उपरान्त उपनिरीक्षक बी0बी0 कनौजिया द्वारा अपराध संख्या 785/2011 बनाम मो0 मेराज की विवेचना ग्रहण की गयी। दौरान विवेचक विवेचक द्वारा साक्षीगण के बयान अंकित किये गये तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया गया तथा बाद विवेचना अभियुक्त मो0 मेराज द्वारा धारा– 8/21 एन.डी. पी.एस. एक्ट का अपराध कारित किया जाना पाते हुए उसके विरूद्ध विचारण हेतु न्यायालय में आरोप–पत्र प्रदर्श क–4 प्रेषित किया गया।

5. अभियुक्त मो0 मेराज के विरुद्ध धारा– 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध के संबंध में न्यायालय द्वारा दिनॉक 09.10.2012 को आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने विरचित आरोप से दोषी न होने का अभिवाक करते हुए विचारण की मांग की ।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्षी के रूप में पी.डब्लू.– 1 निरीक्षक भास्कर देव तिवारी, पी.डब्लू.–2 उपनिरीक्षक भारत सिंह तोमर, पी.डब्लू.–3 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक बी0बी0 कनौजिया व पी0डब्लू–4 सेवानिवृत्त कां0 सरदार बहादुर सिंह को परीक्षित कराया गया है। दस्तावेजी साक्ष्यों में अभियोजन की ओर से सहमति–पत्र प्रदर्श क–1, गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–2, फर्द बरामदगी प्रदर्श क–3 नमूना मोहर नष्ट रिपोर्ट प्रदर्श क–4, नक्शा नजरी प्रदर्श क–5, आरोपपत्र प्रदर्श

क–6, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–7, कायमी जी0डी0 प्रदर्श क–8, डाकेट प्रदर्श क–9 प्रस्तुत किया गया है।

7. अभियुक्त मो0 मेराज का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. दिनांक 10.06.2026 को लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त ने स्वयं के पास से किसी नशीला पदार्थ मारफीन की बरामदगी को गलत बताया है तथा साक्षीगण द्वारा गलत साक्ष्य दिया जाना कहते हुए जानकारी से इंकार किय। गवाहान द्वारा विभागीय होने के नाते रंजिशन गवाही दिया जाना बताया गया। प्रार्थी द्वारा कहा गया कि, दिनांक 14.11.2012 को दो पुलिसवाले मोटरसाइकिल से सुबह लगभग 08:30 बजे प्रार्थी के घर पर आये और प्रार्थी को बताया कि आपके खिलाफ किसी ने प्रार्थनापत्र दिया है। दरोगाजी ने बुलाया है। प्रार्थी को पकड़ कर थाने ले गये और फर्जी चालान कर दिया।

8. अभियुक्त मो0मेराज को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु अवसर दिया गया किन्तु अभियुक्त की ओर से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. राज्य की ओर से विद्वान ए.डी.जी.सी.(क्रि.) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया गया।

निष्कर्ष

10. अभियोजन को अभियुक्त मो0 मेराज के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करना है। न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन, अभियुक्त मो0 मेराज पर लगाये गये आरोप को किस हद तक साबित करने में सफल रहा है?

11. अभियोजन कथानक व अभियोजन कथानक के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के एवं उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्को के आधार पर न्यायालय के समक्ष अवधारण के लिए मुख्य रुप से निम्नलिखित अवधार्य प्रश्न हैं :–

1. क्या प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में धारा– 42 एन.डी.पी.एस.एक्ट का अनुपालन आज्ञापक था एवं सम्बन्धित पुलिस द्वारा इसका अनुपालन किया गया? यदि नहीं, तो प्रभाव?

2. क्या प्रस्तुत मामले में धारा– 50 एन.डी.पी.एस. ऐक्ट का अनुपालन अपेक्षित था? यदि हॉ, तो क्या अभियोजन द्वारा धारा– 50 एन.डी. पी.एस. एक्ट के आज्ञापक उपबन्ध का

अनुपालन विधिनुसार किया गया? यदि नहीं, तो प्रभाव?

3. क्या प्रस्तुत मामले में धारा– 52–ए एन.डी.पी.एस.ऐक्ट का अनुपालन किया गया? यदि नहीं, तो प्रभाव?

4. क्या प्रस्तुत मामले में फर्द बरामदगी के स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत ना किये जाने के बावजूद भी, अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है वह, अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है?

11.1 प्रथम अवधार्य प्रश्न यह है कि, **क्या प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में धारा– 42 एन.डी.पी.एस.एक्ट का अनुपालन आज्ञापक था एवं सम्बन्धित पुलिस द्वारा इसका अनुपालन किया गया? यदि नहीं, तो प्रभाव?**

11.2 प्रथम अवधार्य प्रश्न के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था, ***Ravindran alias John v. Superintendent of Customs (2007) CrLJ 3414 (SC)*** को दृष्टिगत रखना होगा, जिसमें कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि, 'धारा 42 एन0डी0पी0एस0एक्ट का अनुपालन वहीं आज्ञापक है, जहां पर अभियुक्त की गिरफ्तारी या अपराध से सम्बन्धित माल का अभिग्रहण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के मध्य, किसी **भवन, वाहन** या **घेरे हुये स्थान** से हुई हो, यदि ऐसी गिरफ्तारी अथवा ऐसा अभिग्रहण उक्त तीनों स्थानो से इतर किया जाता है, तो धारा 42(2) एन0डी0पी0एस0एक्ट के प्रावधान आकर्षित होगें। यदि उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी सूर्यास्त एवं सूर्योदय के मध्य की जाती है, तो भी धारा 42(2) एन0डी0पी0एस0एक्ट के प्रावधान आकर्षित होंगें, एवं ऐसी 'पूर्व सूचना' अथवा 'विश्वास के कारण' को लेखबद्ध कर अपने 'अव्यवहित पदीय वरिष्ठ' अधिकारी को 72 घण्टे के अन्दर सूचित करना आज्ञापक होगा।

11.3 प्रस्तुत मामले में **फर्द–बरामदगी प्रदर्श क–3** से, ही स्पष्ट है कि, पुलिस को मुखबिर खास के जरिये यह सूचना पहले ही **02:15 बजे** प्राप्त हो गयी थी कि अभियुक्त के पास नाजायज मारफीन है, किन्तु अभियुक्त की गिरफ्तारी बरौली मोड़ खड़ंजा मार्ग से की गयी जबकि <u>वह **'पैदल'** था तथा पुलिस को देखकर भागा, पुलिस द्वारा उसे पकड लिया गया एवं उसकी गिरफ्तारी के पश्चात् मौके से माल–मुकदमा 250 ग्राम मारफीन बरामदगी भी की गयी है</u>। इस प्रकार <u>गिरफ्तारी एवं बरामदगी का यह स्थान ना तो भवन है, ना वाहन है और ना ही घेरा हुआ स्थान ही है</u>। <u>अतः हस्तगत मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सन्दर्भ में</u>

धारा 42 एन0डी0पी0एस0एक्ट के उपबन्ध आकर्षित नहीं होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में धारा 42(2) एन0डी0पी0एस0एक्ट के आज्ञापक उपबंध का अनुपालन ना किये जाने के सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष के तर्क विधि सम्मत ना होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। **तदनुसार अवधार्य प्रश्न संख्या–1 उत्तरित किया जाता है।**

12.1 द्वितीय अवधार्य प्रश्न इस आशय का विरचित है कि, ''**क्या प्रस्तुत मामले में धारा– 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अनुपालन अपेक्षित था? यदि हॉ, तो क्या अभियोजन द्वारा धारा– 50 एन.डी. पी.एस. एक्ट के आज्ञापक उपबन्ध का अनुपालन विधिनुसार किया गया? यदि नहीं, तो प्रभाव?''**

12.2.1 द्वितीय अवधार्य प्रश्न के सन्दर्भ में **फर्द–बरामदगी प्रदर्श क–3** के सुसंगत अंशो का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा, जिसमें यह वर्णित है कि:–

> ''दिनांक 04.12.2011 को उपनिरीक्षक भास्कर देव तिवारी मय हमराह कां0 भारत सिंह व कां0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह, कां0 रामभद्र यादव थाना हाजा से बहवाले रपट संख्या 11 समय 09:15 बजे बिनावर देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अपराधी मे हरख चौराहे पर मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो बरौली मलिक गांव का रहने वाला है अपने गांव से मारफीन लेकर हैदरगढ़ बाराबंकी रोड पर आने वाला है। इस सूचना पर विश्वास करके मैं उपनिरीक्षक मय हमराही कर्मचारीगण मय मुखबिर को लाखियापुर मोड़ पर बनी दुकानो की आड़ लेकर छिप गये कुछ समय बाद मुखबिर ने इशारा किया कि नहर नटरी से रोड की तरफ आ रहा वही व्यक्ति है जो कि हम पुलिस लुकते छिपते नहर पटरी पर पहुंचकर उस व्यक्ति को रोका व टोका गया तो पीछे मुड़कर भागना चाहा कि हम पुलिस वाले घेर घारकर बरौली मोड़ खड़ंजा मार्ग पर पकड़ लिया गया। नाम पता व भागने का कारण पूछा गया तो उसने अपना नाम मो0मेराज पुत्र स्व0रमजानी निवासी ग्राम बरौली मलिक, थाना जैदपुर बाराबंकी बताते हुये कहा साहब मेरे पास मारफीन है इसलिये डर के कारण भागना चाह रहा था कि आप

लोगो ने पकड़ लिया। मो0 मेराज उपरोक्त द्वारा अपने पास मारफीन का होना बताये जाने पर उसे बताया गया कि आपको अधिकार है कि आप अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दे सकते हैं या फिर उन्हें सूचना देकर यहीं बुलाया जा सकता है। जिसपर मो0 मेराज उपरोक्त कहीं भी चलने से मना करते हुये कह रहा है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरी जो भी तलाशी लेगा मारफीन ही निकलेगी। मुझे आप पर विश्वास है आप ही मेरी जामा तलाशी ले लीजिए। मो0मेराज की सहमति पर सहमतिपत्र लिखकर पढ़कर सुनाकर आलामात बनवाये गये। मो0 मेराज उपरोक्त के इत्मीनान हेतु हम पुलिस वाले एक दूसरे की भी जामा तलाशी ले देकर इत्मीनान कराया गया कि किसी के पास अवैध वस्तु नही है। **तत्पश्चात् मो0 मेराज की जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुई लुंगी की दाहिनी फेट से एक पालीथीन में अखबारी कागज में लिपटा हुआ पाउडर जैसा पदार्थ मिला जिसे खोलकर देखा गया तो भूरे रंग का पाउडर पाया गया तथा जिसे सूंघने पर व हमराही कर्मचारीगणो को सुंघाने पर मारफीन जैसी बू आ रही है।** तत्पश्चात् तफ्तीशी किट से तराजू बॉट निकाल कर तौल की गयी तो मारफीन का वजन 250 ग्राम पाया गया। मो0 मेराज उपरोक्त से बरामद मारफीन के संबंध मे अधिकारपत्र मांगा गया तो दिखाने में कासिर रहा। मो0 मेराज का उपरोक्त कृत्य धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0एक्ट के प्राविधान के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः मो0 मेराज को गिरफ्तारी का कारण बताते हुये मानवाधिकार आयोग व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशो निर्देशो का पालन करते हुये समय करीब 14:00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद मारफीन को कब्जा पुलिस में लिया गया। दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी मारफीन आने जाने वाले

राहगीरो से गवाही के लिये कहा गया तो भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ। मौके पर गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया। बरामद मारफीन को उसी अखबारी कागज व पालीथीन में रखकर अलग कपड़े मे रखकर सील मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द मौके पर लिखकर, पढकर, सुनाकर अलामात बनवाये जा रहे हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसके घर भिजवाई जा रही है।''

12.2.3 इस प्रकार उक्त **फर्द–बरामदगी प्रदर्श क–3**, से ही यह स्पष्ट है कि पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मो0मेराज के शरीर की तलाशी ली गयी तथा उसके पहने हुई लुंगी की दाहिनी फेट से एक पालीथीन में अखबारी कागज में लिपटा हुआ पाउडर मारफीन बरामद हुआ, जिसका वजन 250 ग्राम पाया गया। अतः प्रस्तुत मामले में धारा 50 एन0डी0पी0एस0एक्ट के उपबन्धो का अनुपालन किया जाना आज्ञापक था।

12.2.4 यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि, किसी न्यायालय के समक्ष **'सारभूत साक्ष्य' का हिस्सा' (Substantive Piece of Evidence)** का हिस्सा वह है जोकि अभियोजन के साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष सशपथ दिया जाता है। प्रस्तुत मामले में द्वितीय अवधार्य प्रश्न के 'दूसरे हिस्से' के सन्दर्भ में साक्षी पी0डब्लू–1 निरीक्षक भास्कर देव तिवारी, जो कि प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा है एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी जिस टीम द्वारा की गयी उसका मुखिया है, उसके द्वारा अपनी जिरह के पृष्ठ 2 व 3 में यह कथन किया गया है कि,

> ''घटना दिन की है। मुल्जिम की तलाशी मेरे द्वारा ली गयी थी। **मौके पर सबसे पहले फर्द तैयार की थी, उसके बाद सहमति पत्र तैयार किया।** उसके उपरान्त गिरफ्तारी मेमो तैयार किया और माल को सील कर नमूना मोहर तैयार किया गया। **सहमतिपत्र पर जो लिखा है, वहीं मेरे द्वारा अभियुक्त से पूछा गया था और लिखा गया था, धारा 50 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट के अनुपालन में।** मुल्जिम को पकड़ने के बाद स्वतंत्र गवाह को फरहाम करने का प्रयास किया गया किन्तु भलाई बुराई के डर से कोई तैयार नहीं हुआ।''

12.2.5 इस प्रकार इस साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये 'सारभूत साक्ष्य', उक्त सशपथ बयान, से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में सबसे पहले फर्द तैयार की गयी थी एवं उसके पश्चात् अभियुक्त की जामा तलाशी की सहमति के सन्दर्भ में सहमति–पत्र प्रदर्श क–1 तैयार किया गया, जिसके द्वारा अभियुक्त की स्वतंत्र इच्छा की अभिव्यक्ति के आधार पर उसकी जामा तलाशी ली गयी। इस प्रकार जब अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् उसकी जामा तलाशी एवं उसके पास से बरामद माल की तौल एवं उस माल को सील सर्व मोहर कर लिया गया था एवं अन्ततः फर्द भी तैयार कर ली गयी, तो उसके पश्चात् ऐसा सहमति–पत्र मात्र विधिक औपचारिकता की खानापूर्ति के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। जामा तलाशी के पश्चात् फर्द तैयार कर सहमति–पत्र लिखा गया जो धारा 50 एन0डी0पी0एस0एक्ट के आज्ञापक उपबन्ध को ही दूषित कर देता है। स्वतंत्र साक्षियों के अभाव में ऐसी सहमति धारा 50 के आज्ञापक उपबन्ध का पूर्ण अनुपालन माना ही नहीं जा सकता। अतः साक्षी पी0डब्लू–1 के साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् उसकी जामा तलाशी धारा 50 एन0डी0पी0एस0एक्ट के आज्ञापक उपबन्ध के अनुपालन में ली ही नहीं गयी।

12.2.6 वादी मुकदमा पी0डब्लू–1 के उक्त बयान के सन्दर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध **सहमति–पत्र प्रदर्श क–1** की अन्तर्वस्तु का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा, जिसके कि सन्दर्भ में साक्षी पी0डब्लू–1 द्वारा यह कहा गया है कि ''**सहमति–पत्र जो लिखा है, वहीं मेरे द्वारा अभियुक्त से पूछा गया था और लिखा गया था, धारा 50 एन0डी0पी0एस0एक्ट के अनुपालन में**।''

12.3.1 ***सहमति–पत्र***

''आज दिनांक 04.12.2011 को मैं एस0आई0 भास्कर देव तिवारी मय हमराही कर्मचारीगण के अभि0मो0मेराज पुत्र स्व0 रमजानी निवासी ग्राम बरौली मलिक थाना जैदपुर, बाराबंकी को समय 14:00 बजे बरौली मोड़ खड़ंजा मार्ग पर पकड़ा गया जो अपने पास अवैध मारफीन होना बता रहा है। किसी राजपत्रित **अधिकारी/मजिस्ट्रेट** के समक्ष जामा तलाशी नहीं देना चाहता। हम पुलिस वालो को ही

जामा तलाशी लेने को <u>बता रहा है।</u> इस पर सहमति प्राप्त कर सहमतिपत्र लिखकर पढ़कर सुनाकर अलामात बनवाये जा रहे हैं।''

12.3.2 उक्त सहमति–पत्र पर अभियुक्त के अंगूठा निशान ही मौजूद हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त सहमति–पत्र सम्बन्धित गिरफ्तारी टीम के मुखिया भास्कर देव तिवारी द्वारा ही लिखा गया था। उक्त सहमति–पत्र के अवलोकन से यह दर्शित है कि उक्त सहमतिपत्र में यह कहीं अंकित नहीं है कि, 'अभियुक्त को धारा 50 एन0डी0पी0एस0एक्ट के अन्तर्गत उसके इस अधिकार से परिचित कराया गया है कि, यह उसका अधिकार है कि वह अपनी जामा–तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष चलकर दे सकता है अथवा यदि वह चाहे तो सम्बन्धित राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट को मौके पर ही बुलाया जा सकता है।' यदि उक्त सहमति–पत्र की अन्तर्वस्तु को विवेचक के बयान के अनुसार अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाय तो वह <u>'राजपत्रित अधिकारी 'आब्लीक'(Oblique) '(/)' मजिस्ट्रेट, अथवा राजपत्रित अधिकारी 'बटे' (by) (/) मजिस्ट्रेट''</u> के समक्ष नहीं देना चाहता है, के रूप में ही पढ़कर सुनाया जा सकता है जोकि किसी अंगूठा निशानी लगाने वाले अनपढ़ व्यक्ति की समझ मे आना सम्भव ही नही है। इससे यह स्पष्ट है कि यह सहमति मात्र विधिक खानापूर्ति के अलावा कुछ नहीं है। यदि तर्क के लिए मान लिया जाय कि, यह सहमति–पत्र जामा तलाशी से पूर्व भी लिखा गया था तो भी उसकी अन्तर्वस्तु से स्पष्ट है कि वह विधितः धारा 50 एन0डी0पी0एस0एक्ट के अन्तर्गत विधिक सहमति नहीं मानी जा सकती।

12.3.3 उक्त आधार पर यह स्पष्ट है कि बरामदगी के स्वतंत्र साक्षी के अभाव में, प्रस्तुत मामले में गिरफ्तारी टीम के मुखिया द्वारा द्वारा धारा 50 एन0डी0पी0एस0एक्ट के विधिक उपबन्ध का पूर्ण अनुपालन नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् उक्त बरामदगी को अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं किया जा सकता।

12.3.4 उक्त अवधार्य प्रश्न के दूसरे खण्ड के सन्दर्भ में ***Norcotics Central Bureau Vs Sukhdev Raj Sodhi, 2011(2) J.I.C. 934 (S.C)*** के मामले में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था को भी दृष्टिगत रखना होगा, जिसमें कि माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा, ***<u>Vijaysingh</u>***

<u>Chandubha Jadeja Vs State of Gujarat, 2011(1)J.I.C. 624 (S.C.)</u> के मामले में **<u>संविधान पीठ</u>** द्वारा दी गयी व्यवस्था का हवाला देते हुए पैरा–6 में कहा गया है कि –

> *" From the perusal of the conclusion arrived at by this Court in **Vijaysingh Chandubha Jadeja's** case, it appears that the requirement under <u>Section 50 of the NDPS Act is not complied with by merely informing the accused of his option to be searched either in the presence of a Gazetted Officer or before a Magistrate</u>. **The requirement continues even after that and it is required that the accused person is 'actually' brought before the Gazetted Officer or the Magistrate** and in Para 32, the Constitution Bench made it clear that in order to impart authenticity, transparency and cred it worthiness to the entire proceedings, an endeavour should be made by the prosecuting agency **to produce the suspect before the nearest Magistrate.**"*

12.3.5 उक्त अवधार्य बिन्दु के सन्दर्भ में ही माननीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, **Ranjan Kumar Chaddha v. The State of Himachal Pradesh, 2023 INSC 878** जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **'संविधान–पीठ'** की व्यवस्था, **State of Punjab vs. Baldev Singh, (1999) SCC 172 Page 8** का हवाला देते हुये यह व्यवस्था दी गयी है कि, 'यदि पुलिस द्वारा 'अभियुक्त के शरीर की तलाशी' के उपरांत मादक पदार्थ की बरामदगी की गयी है तो, 'चान्स रिकवरी' (Chance Recovery) होने के बावजूद भी धारा 50 एन0डी0पी0एस0एक्ट का अनुपालन आज्ञापक है।'

12.3.6 अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्थाओं के अनुसरण में अभियोजन ***Ram Kumar v. Central Bureau Of Narcotics, 2008 (63) ACC 521 SC*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था का लाभ, अभियुक्त के शरीर की तलाशी के पश्चात्, धारा 50 एन0डी0पी0एस0एक्ट का अनुपालन आवश्यक ना होने के बिन्दु पर पाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा 6 में मूल रूप से, चान्स रिकवरी (Chance Recovery) के मामले में धारा 42 एन0डी0पी0एस0एक्ट के उपबन्ध लागू ना

होने के सन्दर्भ में व्यवस्था दी गयी है।

12.3.7 अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्थाओं के अनुसरण में, अभियोजन, ***Ram Kumar v. Central Bureau Of Narcotics, 2008 (63) ACC 521 SC*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी, विधि व्यवस्था का लाभ, अभियुक्त के शरीर की तलाशी के पश्चात्, धारा 50 एन0डी0पी0एस0एक्ट का अनुपालन आवश्यक ना होने के बिन्दु पर, पाने का अधिकारी नहीं है; क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय में मूल रूप से, चान्स रिकवरी (Chance Recovery) के मामले में धारा 42 एन0डी0पी0एस0एक्ट के उपबन्ध लागू ना होने के सन्दर्भ में व्यवस्था दी गयी है।

12.4.1 इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं, ***Ranjan Kumar Chaddha v. The State of Himachal Pradesh, 2023 INSC 878, Norcotics Central Bureau Vs Sukhdev Raj Sodhi, 2011(2) J.I.C. 934 (S.C),*** तथा ***State of Punjab vs. Baldev Singh, (1999) SCC 172 Page 8,*** एवं ***Vijaysingh Chandubha Jadeja Vs State of Gujarat, 2011(1) J.I.C. 624 (S.C.)*** के मामले मे **संविधान पीठ** द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं, को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत मामले में धारा 50 एन0डी0पी0एस0एक्ट का अनुपालन आज्ञापक था।

12.4.2 प्रस्तुत मामले में यह भी उल्लेखनीय है, कि अभियुक्त को राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने शरीर की तलाशी देने के विधिक अधिकार से मात्र परिचित कराना ही पर्याप्त नहीं है वरन अभियुक्त को **'वास्तविक रूप'** ***(Actually)*** से राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत भी किया जाना चाहिए। जैसा कि उक्त वर्णित ***Norcotics Central Bureau Vs Sukhdev Raj Sodhi, 2011(2) J.I.C. 934 (S.C.)*** के मामले में माननीय उच्चतम् न्यायालय व्यवस्था दी गयी है कि,

> *" From the perusal of the conclusion arrived at by this Court in **Vijaysingh Chandubha Jadeja's** case, it appears that the requirement under Section 50 of the NDPS Act is not complied with by merely informing the accused of his option to be searched either in the presence of a Gazetted Officer or before a Magistrate. The requirement **continues even after that and it is required that the accused person is 'actually' brought before the Gazetted Officer or the Magistrate** and in Para 32, the*

> *Bench made it clear that in order to impart authenticity, transparency and cred it worthiness to the entire proceedings, an endeavour should be made by the prosecuting agency* ***to produce the suspect before the nearest Magistrate****."*

12.4.3 इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, **आरिफ खान बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड, (2018), 18, एस0सी0सी0 380** को भी दृष्टिगत रखना होगा। उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी पूर्व की **'संविधान–पीठ'** की दोनों व्यवस्थाओं, ***State of Punjab vs. Baldev Singh, (1999) SCC 172*** एवं ***Vijaysingh Chandubha Jadeja Vs State of Gujarat, 2011 (1) J.I.C. 624 (S.C.)*** का हवाला देते हुये निर्णय के पैरा 28 में यह व्यवस्था दी गयी है कि,

> *"**28**.......in order to make the search and recovery of the contraband articles from the body of the suspect, the search and recovery has to be in conformity with the requirements of Section 50 of the NDPS Act.* ***It is, therefore, mandatory for the prosecution to prove*** *that the* ***search and recovery was made from the appellant in the presence of a Magistrate or a Gazetted Officer****."*

12.5.1 यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में **'बलदेव सिंह के मामले'** मे एवं **'विजय सिंह जडेजा के मामले'** मे माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान–पीठ की दोंनो विधि व्यवस्थाओं की मंशा एवं मर्म को विश्लेषित करते हुये **'आरिफ खान के मामले'** में यह व्यवस्था दी गयी है। जिसमें कि '***Sukhdev Raj Sodhi***' (उक्त) के मामले का भी हवाला दिया गया है। इस तथ्य को इससे भी बल मिलता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **'आरिफ खान के मामले'** में दी गयी उक्त विधि व्यवस्था के सन्दर्भ में माननीय **उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उक्त विधि व्यवस्था के पुनर्विलोकन(Review) हेतु** ***Review Petition (Criminal)No.270/2019*** **पिटीशन(क्रिमिनल नम्बर 270/2019)** प्रस्तुत किया गया था। इस पुनर्विलोकन(Review) याचिका को भी <u>माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 24.07.2019 को निरस्त किया गया।</u> इस प्रकार स्पष्ट है कि **'आरिफ खान** के मामले में' माननीय उच्चतम न्यायालय की

व्यवस्था, 'संविधान पीठ' की उक्त दोनो विधि व्यवस्थाओं की मंशा के अनुरूप पारित की गयी जोकि **भारतीय संविधान के अनुच्छेद–141** के अन्तर्गत इस 'धरती का कानून' ***(Law of the Land)*** है। जिसका अनुपालन किया जाना सभी अधीनस्थ न्यायालय हेतु बाध्यकारी है।

12.5.2 अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी उक्त विधि व्यवस्थाओं से यह भी स्पष्ट है कि एन0डी0पी0एस0एक्ट के अन्तर्गत यदि किसी 'अभियुक्त के शरीर की तलाशी' ली जाती है तो यह आज्ञापक है कि अभियुक्त के शरीर की तलाशी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जाये। ऐसा ना किये जाने पर यह धारा 50 एन0डी0पी0एस0एक्ट का पूर्ण अनुपालन नहीं माना जायेगा। परिणामस्वरूप ऐसी तलाशी की कार्यवाही एवं उसके परिणामस्वरूप संकलित माल मुकदमा को अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य के रूप में पढ़ा ही नहीं जा सकता।

12.5.3 जहां तक विशेष अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि अभियुक्त मे कब्जे से उक्त मादक पदार्थ की बरामदगी हुई, अतः ऐसी स्थिति में उसके विरूद्ध **धारा 54 एन0डी0पी0एस0एक्ट** के अन्तर्गत सम्बन्धित अपराध कारित किये जाने की उपधारणा की जायेगी। इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***'Ranjan Kumar Chaddha v. The State of Himachal Pradesh'*** के उक्त मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय की, ***State of Punjab vs. Baldev singh*** के मामले में **'संविधान–पीठ'** का हवाला देते हुये पैरा 46 में यह व्यवस्था दी गयी है कि,

> *"46. This Court in **Baldev Singh (supra)** also explained the purpose behind the safeguards engraved under Section 50 and the reason as to why the right of the suspect to have his search conducted before a Gazetted Officer or Magistrate ought to be zealously guarded by the courts. It was held as under:-*
>
> *"25. ....**No presumption under Section 54 of the Act can be raised against an accused, unless the prosecution establishes it to the satisfaction of the court, that the requirements Section 50 were duly complied with**."*

12.5.4 अतः उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि चूंकि प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा की ओर से अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् उसके

शरीर की तलाशी में धारा 50 एन0डी0पी0एस0एक्ट के आज्ञापक उपबन्धो का अनुपालन नहीं किया गया। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त के पास मात्र कथित बरामदगी के आधार पर धारा 54 एन0डी0पी0एस0एक्ट के अपराध की उपधारणा उक्त विधि व्यवस्थाओं के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध नहीं की जा सकती।

13. इस प्रकार अभियोजन साक्ष्यों के उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि, हस्तगत मामले में अभियुक्त के शरीर की तलाशी लिये जाने से पूर्व उसके शरीर की तलाशी लेने वाली टीम द्वारा धारा 50 एन0डी0पी0एस0एक्ट का पूर्ण अनुपालन नहीं किया गया। परिणामतः विधि विरूद्ध जामा–तलाशी एवं **सहमति–पत्र** की मौजूदगी में एवं **'स्वतंत्र साक्षियों के अभाव में',** ऐसी तलाशी एवं बरामदगी के परिणामस्वरूप संकलित साक्ष्य को अभियुक्त के विरूद्ध विधितः पढ़ा ही नहीं जा सकता। **तदनुसार अवधार्य प्रश्न संख्या–2 उत्तरित किया जाता है।**

14.1 तृतीय अवधार्य प्रश्न इस आशय का है कि, **''क्या प्रस्तुत मामले में धारा– 52–ए एन.डी.पी.एस. एक्ट का अनुपालन किया गया?'' यदि नहीं तो प्रभाव?**

14.2.1 विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त अवधार्य प्रश्न के सन्दर्भ में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि, धारा– 52–ए की उपधारा–(2) के अन्तर्गत सम्बन्धित स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ के सन्दर्भ में माल बरामद करने वाले सम्बन्धित पुलिस अधिकारी के द्वारा सम्बन्धित बरामद माल के सम्बन्ध में तैयार की गयी तालिका को मजिस्ट्रेट के द्वारा सही होना प्रमाणित करने तथा सम्बन्धित माल का मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही 'फोटो–चित्र' लेना और उक्त फोटो–चित्र को सही होने का प्रमाण प्राप्त करना तथा मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही सम्बन्धित बरामद माल का 'प्रतिनिधि नमूना'(Representative Sample) लेना एवं ऐसे नमूनों की सूची को सही होने के सन्दर्भ में प्रमाणित करवाना, एक आज्ञापक उपबन्ध है। ऐसा ना किये जाने की स्थिति में बरामदगी की सम्पूर्ण कार्यवाही ही दूषित हो जायेगी। प्रस्तुत मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष 'डाकेट' बनाये जाने के अतिरिक्त उक्त वर्णित अन्य किसी विधिक कार्यवाही को पुलिस टीम या विवेचक द्वारा नहीं किया ही नहीं गया है।

14.2.2 इस सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष की ओर से माननीय उच्चतम् न्यायालय की व्यवस्था, ***Mangilal Vs State Of Madhya Pradesh, 2023 (4) 711 (SC)*** को प्रस्तुत किया गया है एवं विशेष रुप से

उक्त व्यवस्था के पैरा– 5, 6 व 8 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया गया है। जिसमें कि यह व्यवस्था दी गयी है कि,

> ***"5. Sub-section(2) of Section 52-A of the NDPS Act mandates a competent officer to prepre an inventory of such narcotic drungs with adequate particulars. This has to be followed through an appropriate application to the Magistrate concerned for the purpose of certifying the correctness of inventory, taking relevant photographs in his presence and certifying them as true or taking drawal of sampls in his presence with due certification. Such an application can be filed for anyone of the aforesaid three purposes. The objective behind this provision is to have an element of supervision by the Magistrate over the disposal of seized contraband. Such inventories, photographs and list of samples drawn with certification by Magistrates would constitute as a primary evidence. Threrefore, when there is non-compliance of Section52-A of the NDPS Act, where certification of a Magistrate is lacking any inventory, photograph or list of smaples would not contitute primary evidence.***
>
> ***6.The obvious reason behind this provision is to inject fiar play in the process of investigation. Section 52-A of the NDPS Act is a mandatory rule of evidence which requires the physical presence of a Magistrate of llowed by an order facilitating his approval either for certifying an inventory or for a photograph taken apart from list of samples drawn.***
>
> ***8. Recently, this Court in State of Kerla V.Kurian Abraham (P) Ltd. [(2008) 3 SCC 582] following the earlier decision of thisCourt in Union of India vs Azadi Bachao Andolan [(2004) 10 SCC 1, held that statutory instructions are mandatory in nature."***

14.2.3 उक्त अवधार्य बिन्दु के सन्दर्भ में ही, ***Yusuf @ Asif Vs State,***

2024(1) ADCC 7 (SC) के मामले में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा दी गयी अद्यतन विधि–व्यवस्था को दृष्टिगत रखना होगा। उक्त विधि–व्यवस्था के पैरा– 15 व 16 में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि;

> ***"15. In Mohanlal's case, the apex Court while dealing with Section 52-A of the NDPS Act clearly laid down that it is manifest from the said provision that upon seizure of the contraband, it has to be forwarded either to the officer-in-charge of the nearest police station or to the officer empowered under Section 53 who is obliged to prepared an inventory of the seized contraband and then to make an application to the Magistrate for the purposed of getting its correctness certified. It has been further laid down that the samples drawn in the presence of the Magistrate and the list thereof on being certified alone would constitute primary evidence for the purposed of trial.***
>
> ***16. In the absence of any material on record to establish that the samples of the seized contraband were drawn in the presence of the Magistrate and that the inventory of the seized contraband was duly certified by the Magistrate, it is apparent that the said seized contraband and the samples drawn therefrom would not be a valid piece of primary evidence in the trial. Once there is no primary evidence available, the trial as a whole stands vitiated."***

14.2.4 उक्त तृतीय अवधार्य प्रश्न के सन्दर्भ में, माननीय उच्चतम् न्यायालय की अद्यतन विधि–व्यवस्था, ***Criminal Appeal No.(S) 1610 Of 2023 Mohammed Khalid and Another Vs The State of Telangana, With Criminal Appeal No.(S) 1611 Of 2023*** निर्णीत **दिनॉक 01.03.2024** को भी दृष्टिगत रखना होगा, जिसमें कि यह व्यवस्था दी गयी है कि,

> ***22.*** *Admittedly,* ***no proceedings under Section 52A*** *of the NDPS Act were undertaken by the Investigating Officer PW-5* ***for preparing an inventory and obtaining samples in presence of the jurisdictional Magistrate. In this view of the matter, the FSL report (Exhibit P-11) is nothing but a waste paper and cannot be read in evidence."***

14.2.5 उक्त तृतीय अवधार्य बिन्दु के सन्दर्भ में ही, माननीय उच्चतम् न्यायालय की अद्यतन विधि–व्यवस्था, ***Nadeem Ahamad vs. The State of West Bengal, 2025 INSC 993*** को भी दृष्टिगत रखना होगा, जिसके पैरा 27 व 28 में यह व्यवस्था दी गयी है कि,

> ***27.*** *Upon returning to the police station, the seizure officer (PW-2) handed over the seized contraband to Ashish Das, the Officer-in-charge12, directing him to prepare an inventory list. The contraband was thereafter deposited in the malkhana by S.I. Sandip Datta (PW-1). The investigation was subsequently entrusted to S.I. Debashish Barman (PW-6)13, along with custody of the seized contraband and the collected samples. On 20th July, 2018, investigation officer (PW-6) attempted to deposit the samples at the FSL. However, they were not accepted as he arrived after the stipulated time. It was only on 23rd July, 2018 that investigation officer (PW-6) succeeded in depositing the samples for analysis.*
>
> ***28.*** *While the above sequence of events appears to form a continuous chain, the inconsistencies that emerge therein are of such gravity that they cannot be disregarded. These are as follows:-*
>
> ***(a)*** *The seizure officer (PW-2) collected only one sample each from the packets of the contraband seized from the individual accused. This is in direct contravention of* ***Clause 2.2 of Standing Order No. 1 of 1989 dated 13th June, 1989, issued by the Anti-Smuggling Unit, Department of Revenue, Ministry of Finance.*** *The said clause stipulates:*
>
> ***"2.2 All the packages/containers shall be serially numbered and kept in lots for Sampling. Samples from the narcotic drugs and psychotropic substances seized, shall be drawn on the spot of recovery, in duplicate, in the presence of search witnesses (Panchas) and the person from whose possession the drug is recovered, and a mention to this effect should invariably be made in the panchnama drawn on the spot."***
>
> *(Emphasis supplied)*

The said standing order came up for consideration before this Court in the case of ***Noor Aga v. State of Punjab,*** *wherein it was held that the guidelines mentioned above should not only be substantively complied with, but in a case involving penal proceedings, the rigours of such guidelines may be insisted upon. The manifest non-compliance of the standing order in the present case is, therefore, of considerable import.*

....

....

....

(e) Most significantly, there has been a complete failure by the prosecution to comply with the important procedural requirement, as provided under sub-section (2) of Section 52A of the NDPS Act. A perusal of the record makes it clear that there was no effort whatsoever, either by the seizure officer (PW-2), or the officer-in-charge, to undertake the procedure of sampling and inventory in presence of a Magistrate, in light of the aforesaid provision. The trial Court also noted that the seizure officer (PW-2) has even failed to state as to whether any inventory list had been prepared at the time of the raid.

29. *In view of the above discussion, this Court is compelled to hold that there has been a complete and unexplained failure to adhere to the requirements of Section 52A. Neither representative samples were drawn in the presence of a Magistrate, nor was the inventory list prepared and certified, as required by law. These lapses strike at the very root of the prosecution case, rendering the integrity of the seizure and sampling process wholly doubtful. "*

30. *We may hasten to add that the procedure under Section 52A of the NDPS Act has not been considered to be mandatory by this Court,* ***but the facts taken cumulatively, i.e., the non-drawing of the samples in light of the Standing Order no. 1 of 1989,***

> ***and the complete non-compliance of Section 52A of the NDPS Act, makes the entire procedure of seizure and sampling a total farce, and thereby, unworthy of credence.***
>
> ***31.*** *In this view of the matter, we are of the firm opinion that the FSL report loses significance on account of the flawed sampling procedure undertaken by the seizure officer (PW-2), coupled with the fact that there has been a total failure by the officer-in-charge to comply with the procedure provided under Section 52A of the NDPS Act.*
>
> ***32. In the wake of discussion made hereinabove, we are of the firm opinion that the FSL report cannot be read in evidence and consequently, there is no acceptable evidence on record to prove that the article recovered from the accused-appellant was the narcotic drug heroin, as defined under the Schedule to the NDPS Act.***
>
> ***33.*** *Consequently, the impugned judgments do* ***not stand to scrutiny*** *and are hereby quashed and set aside. The accused-appellant is acquitted of the charges...."*

14.3 उक्त तृतीय अवधार्य प्रश्न के सन्दर्भ में जहां तक विद्वान विशेष अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत, ***Jothi @ Nagajothi vs. The State,Rep.By The Inspector of Police, 2025 INSC 1417*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था के पैरा 28 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 52—ए एन0डी0पी0एस0एक्ट के बिन्दु पर यह कहा गया है कि, ***'Simranjit Singh vs. State of Punjab (2023) SCC OnLine SC 906', 'Yusuf @Asif Vs.State (2023) SCC OnLine SC 1328'*** के मामले में दी गयी विधि व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष हस्तगत मामले के तथ्यों से पूर्ण रूप से भिन्न पायी गयी; क्योंकि उक्त दोनो विधि व्यवस्थाओं मे नमूनो की शिनाख्त के सन्दर्भ में गम्भीर संदेह था। सील टूटी हुयी थी तथा उसमें भिन्नताओं का स्पष्टीकरण नहीं किया गया था। अतः ऐसी स्थिति में धारा 52 ए एन0डी0पी0एस0एक्ट के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया में कुछ विचलन से ऐसी अनियमितता नहीं मानी गयी, जोकि नमूने की विश्वसनीयता पर कोई युक्ति युक्त संदेह उत्पन्न

करती हो। तदनुसार उक्त मामले में धारा 52—ए, एन0डी0पी0एस0एक्ट का अनुपालन ना किये जाने के सन्दर्भ में आपत्ति को निरस्त किया गया।'

14.4 जहाँ तक प्रस्तुत मामले में धारा 52—ए, एन0डी0पी0एस0एक्ट के उपबंधो के अनुपालन का प्रश्न है, प्रस्तुत मामले में उसका अभाव है। अतः ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के समक्ष हस्तगत मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की ***Jothi @ Nagajothi vs. The State, Rep. By The Inspector of Police 2025 INSC 1417*** के मामले में दी गयी माननीय उच्चतम न्यायालय की धारा 52—ए, एन0डी0पी0एस0एक्ट पर उक्त वर्णित चारों विधि व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुये, वादी मुकदमा एवं विवेचक द्वारा प्रस्तुत मामले में धारा 52—ए, एन0डी0पी0एस0एक्ट का सम्पूर्ण अनुपालन ना किये जाने के आधार पर, जहां एक ओर उक्त नमूनाकरण (Sampling) की पूरी प्रक्रिया दूषित हो जाती है वहीं दूसरी ओर उक्त नमूना(Sample) के आधार पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला(FSL) की रिपोर्ट का भी कोई महत्व शेष नहीं रह जाता।

14.5 अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन धारा 52—ए के उक्त बिन्दु पर ***Jothi @ Nagajothi vs. The State,Rep.By The Inspector of Police 2025 INSC 1417*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था का लाभ हस्तगत मामले में, नमूनाकरण (Sampling) की प्रक्रिया में उक्त वर्णित तमाम विसंगतियों एवं विधिक प्रक्रिया का पालन ना होने के कारण, अपने पक्ष में पाने का अधिकारी नही है।

15.1 उक्त सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि ***"Jothi @ Nagajothi vs. The State"*** के मामले में धारा 52—ए पर दी गयी व्यवस्था माननीय 'दो न्यायाधीशगण' द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था है तथा पूर्व में धारा 52—ए पर ही माननीय उच्चतम न्यायालय की **'मंगीलाल के मामले'**, **'युसूफ के मामले'**, **'मोहम्मद खालिद के मामले'** एवं **'नदीम अहमद के मामले'** में दी गयी उक्त चारों विधि व्यवस्थायें भी माननीय 'दो न्यायाधीशगण' द्वारा ही दी गयी हैं। अतः 'समान क्षमता की पीठ' द्वारा पूर्व में दिया गया निर्णय **'पूर्व–निर्णय के सिद्धांत' (Doctrine of Precedent)** के आधार पर पश्चात्वर्ती समान पीठ पर बाध्यकारी है। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय की **'संविधान पीठ'** के निर्णय, ***National Insurance Co. Ltd vs Pranay Sethi AIR, 2017 SC page 5157*** में भी व्यवस्था दी गयी है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा

'मंगीलाल के मामले' 'युसूफ के मामले', 'मोहम्मद खालिद के मामले' एवं **'नदीम अहमद के मामले'** में दी गयी उक्त चारों विधि व्यवस्थायें अभिभावी होगी एवं इस आधार पर धारा 52ए एन0डी0पी0एस0एक्ट के आज्ञापक उपबंध का अनुपालन ना किये जाने के आधार पर, जहां एक ओर संकलित नमूना की सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित मानी जायेगी वहीं दूसरी ओर उक्त नमूना के आधार पर एफ0एस0एल0(FSL) रिपोर्ट भी एक शून्य दस्तावेज के अतिरिक्त कुछ भी नही मानी जा सकती।

15.2 उक्त सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की **'संविधान पीठ'** की व्यवस्था, ***National Insurance Co. Ltd vs Pranay Sethi, AIR 2017 SC page 5157*** के पैरा 17, एवं 22 में दी गयी व्यवस्था का उल्लेख करना समीचीन होगाः—

> *"17. In **State of Bihar v. Kalika Kuer alias Kalika Singh** and others, it has been held:-*
>
> *"10. ... <u>an earlier decision may seem to be incorrect to a Bench of a coordinate jurisdiction considering the question later, on the ground that a possible aspect of the matter was not considered or not raised before the court or more aspects should have been gone into by the court deciding the matter earlier but it would not be a reason to say that the decision was rendered per incuriam and liable to be ignored.</u> **The earlier judgment may seem to be not correct yet it will have the binding effect on the later Bench of coordinate jurisdiction.** ..." The Court has further ruled:-*
>
> ***"10. Easy course of saying that earlier decision was rendered per incuriam is not permissible and the matter will have to be resolved <u>only in two ways either to follow the earlier decision or refer the matter to a larger Bench</u> to examine the issue, in case it is felt that earlier decision is not correct on merits."***
>
> ***22. In Chandra Prakash and others v. State of U.P. and another, another Constitution Bench dealing with the concept of precedents stated thus:-***
>
> *"22. <u>The doctrine of binding precedent</u> is of utmost importance in the administration of our judicial system. It promotes certainty and consistency in judicial decisions. Judicial consistency promotes confidence in the system, therefore, there is this need*

*for consistency in the enunciation of legal principles in the decisions of this Court. It is in the above context, this **Court in the case of Raghubir Singh held that pronouncement of law by a Division Bench of this Court is binding on a Division Bench of the same or smaller number of Judges....**"*

15.3 इस प्रकार उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि, प्रस्तुत मामले से सम्बन्धित पुलिस द्वारा धारा 52–ए एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट का विधि अनुसार अपेक्षित अनुपालन नहीं किया गया। तदनुसार माल बरामदगी के उपरान्त माल के नमूनाकरण (Sampling) की समस्त कार्यवाही ही दूषित हो जाती है। अतः ऐसी स्थिति में एफ0एस0एल0 रिपोर्ट भी शून्य दस्तावेज के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। **तदनुसार अवधार्य प्रश्न संख्या–3 उत्तरित किया जाता है।**

16.1 अवधार्य बिन्दु संख्या–4 इस आशय का है कि, **क्या प्रस्तुत मामले में फर्द बरामदगी के स्वतंत्र साक्षी को प्रस्तुत ना किये जाने के बावजूद भी, अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है वह, अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है?**

16.2 चतुर्थ अवधार्य प्रश्न के सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि माल बरामदगी करने वाली टीम के मुखिया निरीक्षक भास्कर देव तिवारी द्वारा बतौर साक्षी पी0डब्लू–1 द्वारा माल बण्डल पर वस्तु प्रदर्श–1, उसके अन्दर पालीथीन पर वस्तु प्रदर्श–2, अन्दर कागज पर वस्तु प्रदर्श–3 तथा मारफीन को वस्तु प्रदर्श–4 के रूप में साबित किया गया है तथा फर्द–बरामदगी को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया गया है। **प्रस्तुत मामले में बाल बण्डल पर लगी नमूना–मोहर को चूहो द्वारा कुतर कर नष्ट किये जाने की आख्या को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया गया है।** इस प्रकार फर्द बरामदगी एवं इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि इस साक्षी द्वारा उक्त माल बण्डल से ना तो नमूना माल निकाला गया और ना ही नमूना–माल की नमूना–मोहर ही तैयार की गयी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से वापस प्राप्त नमूना माल को न्यायालय के समक्ष दौरान विचारण के स्तर पर भी नहीं किया गया है और ना ही किसी साक्षी द्वारा साबित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि माल बण्डल से किसी नमूना–माल को निकाला गया तथा उसे नमूना–मोहर से सील किया गया तथा वही नमूना–माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला

पहुंचा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण के उपरान्त वापस प्राप्त नमूना–माल को दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के स्तर पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जबकि प्रस्तुत मामले में ना तो नमूना–माल और ना ही उसकी नमूना–मोहर को कभी भी दौरान विचारण ना तो प्रस्तुत किया गया है और ना ही किसी साक्षी द्वारा साबित किया गया है।

16.3 प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से **मालखाना–रजिस्टर** को भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि धारा 55 एन0डी0पी0एस0एक्ट के अन्तर्गत सम्बन्धित माल–मुकदमा से सम्बन्धित फर्द बरामदगी तैयार करते समय टीम द्वारा उक्त माल थाना प्रभारी को सुपुर्द किया गया एवं उक्त थाना प्रभारी द्वारा माल–मुकदमा एवं नमूना–मोहर को प्रतिहस्ताक्षरित करते हुये माल–खाना रजिस्टर में इन्द्राज करते हुये उसे मालखाने मे दिनांक 04.12.2011 को दाखिल किया गया तथा डाकेट तैयार करने के कथित दिनांक 07.12.2011 को वही माल मालखाने से निकाला गया एवं सम्बन्धित विवेचक द्वारा उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर उसका नमूना–माल निकाला गया एवं उसकी नमूना–मोहर को तैयार कर विधि विज्ञान प्रयोगशाला उसी दशा मे भेजा गया; जिससे कि माल बरामदगी से लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला पहुंचाने तक उक्त माल मे कोई भी छेड़छाड़ किया जाना सम्भाव्य ही ना था।

16.4 प्रस्तुत मामले में डाकेट ले जाने वाले साक्षी सेवानिवृत्त सरदार बहादुर सिंह को पी0डब्लू–4 के रूप में परिक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि, वह विवेचक बी0बी0कनौजिया के साथ प्रस्तुत मामले की डाकेट बनवाने हेतु ए0सी0जे0एम0, कोर्ट संख्या–12, जनपद बाराबंकी में दिनांक 07.12.2011 को सुबह दस बजे निकला था तथा वह 12:00 बजे मोटरसाइकिल से अदालत पहुंच गया था तथा नमूना–माल निकालने की प्रक्रिया लगभग दो घण्टे में अर्थात् 02:.00 बजे पूरी हो गयी थी। उसी दिन वह 04:00 बजे खाली हुआ तथा सीधे विधि विज्ञान प्रयोगशाला गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला वह 05:00 बजे पहुंचा तब तक विधि विज्ञान प्रयोगशाला बन्द हो चुकी थी। **रात भर विधि विज्ञान प्रयोगशाला मे ही वह रूका और अगले दिन माल की जमा रसीद प्राप्त कर थाने पर वापस आया।** किन्तु इस सन्दर्भ में उसके द्वारा लगभग 15–16 घण्टो के दौरान माल को अपने पास रखने की स्थिति में

उसके द्वारा माल को दिनांक 07.12.2011 को ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला मे ना जमा होने की स्थिति में थाने वापस आकर क्यों नहीं जमा किया गया, यह स्पष्ट नहीं किया गया है तथा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस आधार पर वह विधि विज्ञान प्रयोगशाला में ही किन परिस्थितियों में रूका रहा। यह समस्त तथ्य माल की 'शुचिता' को अक्षुण्य रखे जाने के तथ्य को संदिग्ध बनाते हैं। प्रस्तुत मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि विवेचक बी0बी0कनौजिया द्वारा दिनांक 07.12.2011 को माल मुकदमा की डाकेट बनाये जाने के सन्दर्भ में सी0डी0 का पर्चा संख्या–2 किता किया गया है किन्तु दिनांक 08.12.2011 को कोई भी पर्चा किता नहीं किया गया है एवं केवल दिनांक 09.12.2011 को पर्चा संख्या–3 किता करते हुये डाकेट की रसीद प्राप्त होने का कथन किया गया है जबकि विवेचक का यह दायित्व था कि उनके द्वारा जो माल भेजा गया है वह यदि दिनांक 07.12.2011 को नही दाखिल किया जा सका एवं डाकेट के धारक कां0 सरदार बहादुर सिंह द्वारा 05:00 बजे के पश्चात् एवं अगले दिनांक 08.12.2011 को अपने पास रखा गया तो स्वयं वह विधि विज्ञान प्रयोगशाला में किस अधिकारपत्र के तहत रूके रहे, इसका उल्लेख केस डायरी में किया जाना अपेक्षित था चाहे वह केस डायरी दिनांक 09.12.2011 की ही क्यों ना हो।

16.5 उक्त परिस्थितियों मे मूल माल–बण्डल की नमूना–मोहर चूहो द्वारा कुतर देना नमूना–माल एवं उसकी नमूना–मोहर व मालखाना रजिस्टर दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ना किया जाना यह वे तमाम परिस्थितियां हैं जोकि माल मुकदमा की बरामदगी से लेकर उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने तक उसकी 'शुचिता' को अक्षुण्य रखे जाने के तथ्य को संदिग्ध बनाती हैं। यह तथ्य साक्षी पी0डब्लू–1 के उक्त साक्ष्य एवं प्रस्तुत मामले स्वतंत्र साक्षी के अभाव की स्थिति में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

16.6 इस प्रकार उक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों मे नमूना–माल एवं नमूना–मोहर की कार्यवाही की शुचिता ही पूर्ण रूप से संदिग्ध हो जाती है। इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, **स्टेट आफ राजस्थान बनाम गुरुमेल सिंह (2005) 3 एस.सी.सी. 59** का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा, जिसमें माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि, 'सम्बन्धित बरामद माल मय नमूना–माल अक्षुण्ण एवं बिना मिलावट के मालखाने में रखा गया था। इस तथ्य को साबित

करने हेतु अभियोजन कर्तव्यबद्ध है। ऐसे साक्ष्य की अनुपस्थिति में अभियुक्त को अपराध से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी की अनुपस्थिति से अभियोजन कथानक संदेहास्पद हो जाता है।' उक्त 'नमूना–माल' के बिन्दु पर ही माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा, **अजादार हुसैन बनाम स्टेट आफ यू.पी. 2004(2) जे.आई.सी. 410 (इलाहाबाद)** के मामले में निर्णय के पैरा– 16 में यह व्यवस्था दी गयी है कि, 'सम्बन्धित पुलिस कान्सटेबुल द्वारा थाने से नमूना माल कब प्राप्त किया गया तथा उस माल नमूना को कब विधि–विज्ञान प्रयोगशाला में प्रेषित किया गया, इस दौरान माल मुकदमा किस अवस्था में रहा, इस तथ्य को साबित करने वाले सम्बन्धित कान्स्टेबल को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जाता तो यह धारा– 55 व 57 का अनुपालन नहीं माना जायेगा।'

17.1 प्रस्तुत मामले में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं फर्द बरामदगी के स्तर पर जनता के किसी भी व्यक्ति को **'स्वतंत्र–साक्षी' नहीं बनाया गया है** और ना ही इस सन्दर्भ में कोई सार्थक प्रयास ही किये गये हैं।

17.2 उक्त तृतीय अविधार्य प्रश्न के संदर्भ में ही बचाव पक्ष की ओर से, **गोरखनाथ प्रसाद बनाम स्टेट आफ बिहार, 2018(1) जे. आई. सी. 734(सु.को.),** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी विधि–व्यवस्था के पैरा 3, 6, 7 एवं 8 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया है जिसमें यह व्यवस्था दी गयी है कि, 'जब एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त की तलाशी एवं संबंधित माल की जब्ती से संबंधित यदि स्वतंत्र–साक्षी यदि पक्षद्रोही जो जाते है, साथ ही संबंधित नमूना–माल व नमूना–मोहर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो मात्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट एवं पुलिस के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि अरक्षणीय है।' प्रस्तुत मामले में स्वतन्त्र साक्षी के पक्षद्रोही होने का प्रश्न तो दूर प्रस्तुत मामले में स्वतन्त्र साक्षी वादी द्वारा बनाया ही नहीं गया है।

17.3 **'नमूना–माल' 'मौके पर' निकाले जाने के सन्दर्भ में** भारत सरकार के ***Standing Order No. 1 of 1989 dated 13th June, 1989*** को दृष्टिगत रखा जाना आवश्यक होगा, जिसका कि उल्लेख ***Nadeem Ahamad vs. The State of West Bengal, 2025 INSC 993*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी अद्यतन विधि व्यवस्था में इस प्रकार किया गया है:–

> ***28.*** *While the above sequence of events appears to form a continuous chain, the inconsistencies that emerge therein are of such gravity that they cannot be disregarded. These are as follows:-*
>
> ***(a)*** *The seizure officer (PW-2) collected only one sample each from the packets of the contraband seized from the individual accused. This is in direct contravention of* ***Clause 2.2 of Standing Order No. 1 of 1989 dated 13th June, 1989, issued by the Anti-Smuggling Unit, Department of Revenue, Ministry of Finance.*** *The said clause stipulates:*
>
> ***"2.2 All the packages/containers shall be serially numbered and kept in lots for Sampling. Samples from the narcotic drugs and psychotropic substances seized, <u>shall be drawn on the spot of recovery, in duplicate, in</u> the presence of search witnesses (Panchas) and the person from whose possession the drug is recovered, and a mention to this effect should invariably be made in the panchnama drawn on the spot."***
>
> *(Emphasis supplied)*
>
> *The said standing order came up for consideration before this Court in the case of* ***Noor Aga v. State of Punjab,*** *wherein it was held that the guidelines mentioned above should not only be substantively complied with, but in a case involving penal proceedings, <u>the rigours of such guidelines may be insisted upon. The manifest non-compliance of the standing order in the present case is, therefore, of considerable import</u>.*

17.4 इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं फर्द बरामदगी करने वाले वादी मुकदमा द्वारा उक्त ***Standing Order*** दिनांक 13 जून, 1989 का अनुपालन ना करके महत्वपूर्ण त्रुटि कारित की गयी है, जोकि साक्षी पी0डब्लू–2 के उक्त साक्ष्य के आधार पर फर्द बरामदगी के साथ–साथ 'नमूना–माल' की शुचिता को, उक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों में, पूर्ण रूप से दूषित करती है।

17.5 अवधार्य प्रश्न संख्या–4 के सन्दर्भ में उक्त तथ्यों, परिस्थितियों, एवं साक्ष्यों के उक्त विवेचन के पश्चात् माननीय उच्चतम्

न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी उक्त विधि व्यवस्थाओं के अनुसरण में, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्ष्यों के आधार पर प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। **तद्नुसार अवधार्य प्रश्न संख्या–4 उत्तरित किया जाता है**।

18. अस्तु प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व साक्ष्यों के उक्त विवेचन एवं उक्त चारों अवधार्य प्रश्नों के उक्त उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए, माननीय उच्चतम् न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्थाओं के अनुसरण में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष की है कि, अभियोजन, अभियुक्त मो0मेराज पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अस्तु, अभियुक्त मो0मेराज, आरोप अन्तर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार अभियुक्त मो0मेराज को, एन.डी.पी.एस.एक्ट वाद संख्या 200108/2012, मुकदमा अपराध संख्या–785/2011, उ0 प्र0 राज्य बनाम मो0मेराज, थाना–जैदपुर, जिला–बाराबंकी के मामले में, आरोप अन्तर्गत धारा–8/21 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त मो0मेराज जमानत पर है। उसके जमानतनामें एवं बन्ध–पत्र निरस्त किये जाते है तथा उसके प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त मो0मेराज को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू सात दिन के अन्दर निष्पादित करना सुनिश्चित करें, जो कि केवल छः माह तक बाध्यकारी रहेगा।

बाद मियाद अपील एवं आवश्यक कार्यवाही माल मुकदमा नियमानुसार निस्तारित किया जाय।

(विनय कुमार सिंह–III)
J.O.Code UP-6068
दिनाँक : 06.08.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1, बाराबंकी।

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(विनय कुमार सिंह–III)
J.O.Code UP-6068
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1, बाराबंकी।

दिनाँक : 06.08.2026